कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2018/ 911

प्रति, छिन्दवाड़ा दिनांक 29/1/18

महाप्रबंधक

वे.को.फी.लिमि.

पेंच क्षेत्र परासिया

विषय :- Diversion of 54.639 ha of Revenue Forest Land in favour of M/s. Western Coalfields Limited for Jamunia Pthaar Under Ground Coal Mining Project in West Chhindwara District under the Chhindwara Forest Division , Madhya Pradesh State.

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8–47/2017–एफ.सी. दिनांक 03.01.018 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल के पृ.क्र. एफ –1/एफपी/एमपी/एमआईएन/10885/2015/10–11/51 दिनाक 08.01.2018

---- ??? ----

विषयांकित पत्र मे लेख है कि, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत वनपरिक्षेत्र परासिया के राजस्व वनभूमि (छोटे–बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम जमुनिया पठार ख.नं. 8, 26/1,58, 60, 137, 202,148, 260 रकबा 54.639 हे0 (जमुनिया पठार कोयला खदान) भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8–47/2017–एफ सी दिनांक 03.01.2018 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 से 33 तक का पालन आवेदक द्वारा किया जाना है।

स्वीकृति मे अधिरोपित शर्त क्रमाक 11 एवं 12 के पालन हेतु नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–5/16/200/10–3 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार वनों की इको वेल्यू श्रेणी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन एवं वनों का धनत्व मध्यम घनत्व वन 0.5 से 0.7 के लिए नेट प्रजेन्ट वेल्यू प्रति हे0 8.03 लाख रू. के आधार पर किया गया है।

आवेदित क्षेत्र रकबा 54.639 हे0 राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) होने से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक02.12.2005 के अनुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि वसूल हेतु राजस्व वनक्षेत्र के लिये साईट क्वालिटी, समीपस्थ वन क्षेत्र की अभिलिखित साईट क्वालिटी के आधार पर नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि का निर्धारण किया जाता है। इस हेतु साईट क्वालिटी के लिए समीपस्थ वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ. 703 ए वन का धनत्व 0.6 तक का है। वनो की इको वेल्यू श्रेणी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती सागौन वन है।

व्यपवर्तित राजस्व वनभूमि रकबा 54.639 हे0 में नेट प्रजेन्ट वेल्यू प्रति हेक्टेयर के 8.03 लाख की दर से राशि रु. 4,38,75,117.00 का आंकलन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–5–16/2000/10–3 दिनांक 12.06.2008 एवं एफ–5–17/2011/10–3 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार भूमिगत कोयला खदान के लिए एन.पी.व्ही. संपूर्ण एरिया का पचास प्रतिशत राशि वसूल करने के आदेश है। इस हेतु निर्धारण की गई एन.पी.व्ही की राशि रू. 4,38,75,117.00 का पचास प्रतिशत राशि रू. 2,19,37,559.00 का निर्धारण किया गया है।

निर्धारण की गई एन.पी.व्ही.की राशि रू. 2,19,37,559.00 ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में कार्पोरेशन बैंक खाता क्रमांक 520101263743590 में जमा करें , एवं जमा उपरांत राशि का बैंक स्टेटमेंट , यू.टी.आर. नंबर की छायाप्रति प्रस्तुत करें। शर्त क्रमांक 5 के पालन हेतु संपूर्ण लीज एरिया की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं शर्त

कमांक 13 के पालन हेतु लीज एरिया के साढे सात मीटर पट्टी (से.टीजोन) रोपण योजना तथा साढे सात मीटर सेफटी जोन के डेढ गुने बिगड़े वन क्षेत्र की रोपण योजना वनपरिक्षेत्राधिकारी परासिया से तैयार कराकर उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने के उपरांत तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् निर्धारण की गई राशि की मांग पृथक से की जावेंगी।

उपरोक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय अभिलेख एवं वचन पत्र के इस कार्यालय में 6–6 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृ.क./मा.चि./2018/ 912 छिन्दवाड़ा दिनांक/ 29/1/18

प्रतिलिपि :– (1) उपवनमंडलाधिकारी परासिया सा0 उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र कमांक 8–47/2017–एफ.सी. दिनांक 03.01.2018 से जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन आवेदक विभाग से कराकर एवं स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक 5 व 13 में रोपण योजना आपके मार्गदर्शन में तैयार कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(2) वनपरिक्षेत्राधिकारी परासिया सा0 वनपरिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र कमांक 8–47/2017–एफ.सी.दिनांक 03.01.2018 से जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन आवेदक विभाग से कराकर एवं स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक 5 व 13 में रोपण योजना तैयार कर उपनमंडलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा